बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

<u>बिहार कौशल विकास मिशन</u>

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा क्रार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केंन्द्रों को कौशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा BSDC अररिया सदर कोड–KYP07010008 एवं Vivekanand institute of information technology अररिया सदर, कोड–KYP07010005 का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि केन्द्र पर एक LF के द्वारा प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा था। इस आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा दोंनों संस्था से स्पष्टीकरण पूछा गया था, स्पष्टीकरण का जवाब स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः समीक्षोपरान्त BSDC अररिया सदर, कोड–KYP07010008 एवं Vivekanand institute of information technology अररिया सदर, कोड–KYP07010005 अररिया सदर के माह जून 2022 के Final Invoice से 30% के समतुल्य राशि अगामी भुगतान होने वाले विपत्र से कटौती करने का आदेश दिया जाता है। मिशन प्रबंधक वित्त एवं लेखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों केन्द्रों के अगामी होने वाले भुगतान राशि से 30% के राशि की कटौती करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

28/09/2022

(अतुल रंजन)
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक–BSDM/KYP-206/2021-1136 पटना दिनांक–30/09/2022

प्रतिलिपि–(1) BSDC अररिया सदर कोड–KYP07010008 एवं Vivekanand institute of information technology अररिया सदर कोड–KYP07010005 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) जिला पदाधिकारी अररिया के पत्रांक–1567, दिनांक–25.06.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(3) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ मिशन प्रबंधक(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(6) जिला कौशल प्रबंधक, ~~समस्तीपुर~~ अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/09/2022

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन